राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4/2) विभाग

परिपत्र

विषयः राजकीय संव्यवहारों/भुगतानों में पूर्ण शुद्धता हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के मास्टर डेटा की जांच कर भिजवाने के संबंध में।

संदर्भः वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/3666–4165 दिनांक 13.09.19 एवं कार्मिक (ग) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.14(2) कार्मिक/ग–1/ 2013 दिनांक 08.11.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों की अनुपालना में लेख है कि कार्मिक (ग) विभाग से वेतन आहरित कर रहे राजस्थान सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पे–मेनेजर पर अपने मास्टर डाटा प्रविष्टियों की पूर्ण जांच कर लें। कतिपय प्रविष्टियों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संशोधन कर अधिकृत दस्तावेज के साथ संशोधित डाटा दिनांक 07.12.2019 तक आवश्यक रूप से कार्मिक (क–4/2) विभाग, कमरा नं. 2224, मुख्य भवन में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। नियत समयावधि में उक्त प्रमाणित मास्टर डाटा प्रपत्र के अभाव में वेतन आहरण नहीं होने का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं होगा।

–sd–
(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

समस्त अधिकारिगण (राजस्थान सचिवालय सेवा),
शासन सचिवालय, जयपुर
क्रमांकः प. 13 (3)का./क–4/2/14–पार्ट
जयपुर, दिनांक 27 NOV 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1 ACP, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त परिपत्र को आज ही कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
2 नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय।

सहायक शासन सचिव